UPST010044122026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–12, सुलतानपुर

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या–4118/2026
अपराध संख्या–470/2025
अरविन्द उर्फ बिन्दे बनाम राज्य
थाना चांदा, जिला सुलतानपुर।

दिनांकः–06.05.2026

प्रार्थी/अभियुक्त अरविन्द उर्फ बिन्दे की ओर से जरिये चीफ लीगल डिफेंस काउंसिल सुलतानपुर प्रार्थना पत्र बाबत जमानत की शर्तों में किये जाने शिथिलीकरण पर सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र इस आशय का दिया गया है कि प्रार्थी दिनांक 13.12.2025 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थी की जमानत माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 17.03.2026 को 30,000/–रूपये के व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि की एक प्रतिभू के निष्पादन पर स्वीकृत की गयी है। प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वह अत्यन्त गरीब एवं घर का अकेला व्यक्ति है। उसका कोई जानने वाला परिजन व मित्र नहीं है। इस वजह से वह जमानत प्रतिभू माननीय न्यायालय के समक्ष दाखिल नहीं कर पा रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या–4/21 में दिनांक 31.01.2023 को पारित दिशा–निर्देश के आलोक में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उचित एवं न्यायसंगत आदेश पारित करते हुये 30 दिन के लिये रिहा किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था SMWP CRIMINAL NO 4/2021 IN RE POLICY STRATEGY FOR GRANT OF BAIL में जारी दिशा–निर्देश के अनुक्रम में उपरोक्त तथ्य व परिस्थितियों के कारण 30 दिन के लिये व्यक्तिगत बंधपत्र पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

उक्त प्रार्थना पत्र के आलोक में पी0 एल0 वी0 द्वारा इस आशय की आख्या प्रेषित की गयी है कि अभियुक्त अरविन्द उर्फ विन्दे पुत्र त्रिभुवन, निवासी ग्राम कुटिया इशीपुर, थाना चांदा, जिला सुलतानपुर की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति अत्यन्त दयनीय होने के कारण जमानत दाखिल करने में असमर्थ है।

मेरे द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र, संलग्न प्रपत्रों एवं पी0 एल0 वी0 की आख्या का अवलोकन किया गया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त अरविन्द उर्फ बिन्दे की जमानत न्यायालय द्वारा दिनांक 17.03.2026 को 30,000/–रूपये के व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि की एक प्रतिभू के निष्पादन पर स्वीकृत की गयी है। अभियुक्त की पारिवारिक स्थिति अत्यंत दयनीय है, जिसके कारण अभियुक्त के परिवारीजन जमानत लेने में असमर्थ है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय पारित दिशा–निर्देशों, पी0 एल0 वी0 द्वारा प्राप्त आख्या तथा प्रार्थी/अभियुक्त की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को दृष्टिगत

रखते हुये अभियुक्त उपरोक्त को अपराध संख्या—470/2025, अन्तर्गत धारा—137 (2) भारतीय न्याय संहिता व धारा—7/8 पॉक्सो ऐक्ट, थाना चांदा, जिला सुलतानपुर के मामले में उसके द्वारा 30,000/—रूपये का स्वबंध पत्र एवं इस आशय की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर कि वह कारागार से रिहा होने के 15 दिन के अन्दर इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण में पारित जमानत आदेश दिनांकित 17.03.2026 के अनुपालन में जमानतदार प्रस्तुत करेगा, उसे रिहा किया जाये। आदेश की एक प्रति अधीक्षक, जिला कारागार सुलतानपुर को प्रेषित की जाये।

(नीरज कुमार श्रीवास्तव)
विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो ऐक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या—12, सुलतानपुर।
(J.O. Code-UP2693)

<u>दिनांक—06.05.2026</u>

आशुलिपिक
(श्याम चन्द)

Digitally signed by NEERAJ KUMAR SHRIWASTAV
Date: 2026.05.06 17:08:32 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court